

सं. 12024/07/2026- रा.भा (का.2)

भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राजभाषा विभाग (का.2)

एनडीसीसी-2 भवन, जय सिंह रोड
नई दिल्ली-110001
दिनांक-12 मई, 2026

कार्यालय जापन


विषय : वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों को 'प्रोत्साहन' देने हेतु प्रदर्शन आधारित वार्षिक प्रमाण पत्र देने के संबंध में।

कृपया उपरोक्त विषय पर दिनांक 22.10.2024 के समसंख्यक कार्यालय जापन का संदर्भ लें। (प्रति संलग्न)

केंद्र सरकार के देश भर में फैले कार्यालयों/ बैंकों/ उपक्रमों आदि में राजभाषा के प्रयोग को बढ़ावा देने तथा राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के मार्ग में आई कठिनाईयों को दूर करने के लिए नराकासों का गठन किया गया है। इसी क्रम में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों में कार्य करने की प्रेरणा व प्रोत्साहन को बढ़ाने के उद्देश्य से उल्लेखनीय कार्य करने वाले नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों को सम्मानित करने के लिए विभिन्न श्रेणियों का निर्धारण किया गया है। प्रोत्साहन हेतु तय किए गए श्रेणियों के वर्गीकरण एवं मानदंड के आधार पर मूल्यांकन किया जाना है।

2. सभी नराकास **वित्तीय वर्ष 2025-26** के दौरान की गई बैठकों, कार्यशालाओं एवं नवोन्मेषी कार्यों का ब्यौरा (चित्र सहित) तत्काल **नराकास सूचना प्रबंधन प्रणाली** के माध्यम से ऑनलाइन लिंक <https://narakasweb.rajbhasha.gov.in/mystart.php?0000#noback> पर login करके भरना सुनिश्चित करें। यह रिपोर्टें दिनांक 15.06.2026 तक भरी जा सकती हैं।

3. उल्लेखनीय है कि आगामी 14-15 सितंबर 2026 को आयोजित होने वाले सम्मेलन में चयनित नराकासों को प्रशस्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे।



(ले. कर्नल रामनरेश शर्मा)
निदेशक (का.)

प्रति:

1. सभी क्षे.का.का के प्रभारी अधिकारी कृपया इसे नराकासों को परिचालित करवाएँ।
2. सभी 585 नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के अध्यक्ष।

सं. 12024/03/2024-रा.भा. (का.2)

भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राजभाषा विभाग (का.-2)

एनडीसीसी-2 भवन, जय सिंह रोड,
नई दिल्ली- 110001
दिनांक-22.10.2024

कार्यालय जापन

विषय: नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों को "प्रोत्साहन" देने हेतु प्रदर्शन आधारित वार्षिक प्रमाण-पत्र देने के संबंध में।

कतिपय नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों में कार्य करने की प्रेरणा व प्रोत्साहन बढ़ाने के उद्देश्य से उल्लेखनीय कार्य करने वाले नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों हेतु विभिन्न श्रेणियों का निर्धारण किया जाता है। पूर्व में जारी राष्ट्रीय व क्षेत्रीय स्तर पर न.रा.का.स. राजभाषा सम्मान यथावत रहेंगे।

2. नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के प्रोत्साहन हेतु श्रेणियों का वर्गीकरण एवं मानदंड निम्नानुसार हैं:-

I. सर्वश्रेष्ठ


- क. निर्धारित कैलेंडर वर्ष के अनुसार नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दो बैठकों का आयोजन। बैठकों में कार्यालय प्रमुख की उपस्थिति एवं सदस्य कार्यालयों से रिपोर्ट की प्राप्ति सुनिश्चित करना।
- ख. वार्षिक पत्रिका का प्रकाशन।
- ग. कम से कम चार कार्यशालाओं (प्रत्येक तिमाही में एक) का आयोजन।
- घ. सदस्य कार्यालयों के लिए अलग से कार्यान्वयन अथवा तकनीकी टूल्स पर साल में कम से कम एक पूर्ण दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम।
- ङ. 10 प्रतियोगिताओं (शील्ड प्रतियोगिता सहित) का आयोजन।
- च. सभी सूचनाएं "नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की संयुक्त वेबसाइट" पर निर्धारित समयानुसार अपलोड करना।
- छ. नवोन्मेषी कार्यकलाप- कैलेंडर वर्ष में राष्ट्रीय महत्व के विषय पर राष्ट्रीय स्तर की संगोष्ठी का आयोजन। वार्षिक राजभाषा समारोह/ उत्सव का आयोजन एवं हिंदी दिवस का आयोजन।

II. उत्कृष्ट

- क. निर्धारित कैलेंडर वर्ष के अनुसार नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दो बैठकों का आयोजन। बैठकों में कार्यालय प्रमुख की उपस्थिति एवं सदस्य कार्यालयों से रिपोर्ट की प्राप्ति सुनिश्चित करना।
- ख. वार्षिक पत्रिका का प्रकाशन।
- ग. कम से कम तीन कार्यशालाओं का आयोजन।
- घ. सदस्य कार्यालयों के लिए अलग से कार्यान्वयन अथवा तकनीकी टूल्स पर साल में कम से कम एक पूर्ण दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम।
- ङ. 06 प्रतियोगिताओं (शील्ड प्रतियोगिता सहित) का आयोजन।
- च. सभी सूचनाएं "नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की संयुक्त वेबसाइट" पर निर्धारित समयानुसार अपलोड करना।
- छ. नवोन्मेषी कार्यकलाप- कैलेंडर वर्ष में राष्ट्रीय महत्व के विषय पर राष्ट्रीय स्तर की संगोष्ठी का आयोजन। हिंदी दिवस का आयोजन।

III. प्रशंसनीय

- क. निर्धारित कैलेंडर वर्ष के अनुसार नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दो बैठकों का आयोजन। बैठकों में कार्यालय प्रमुख की उपस्थिति एवं सदस्य कार्यालयों से रिपोर्ट की प्राप्ति सुनिश्चित करना।
- ख. कम से कम दो कार्यशालाओं (प्रत्येक छमाही में एक) का आयोजन।
- ग. सदस्य कार्यालयों के लिए अलग से कार्यान्वयन अथवा तकनीकी टूल्स पर साल में कम से कम आधे दिन (Half Day) का एक प्रशिक्षण कार्यक्रम।
- घ. 04 प्रतियोगिताएं (शील्ड प्रतियोगिता सहित) आयोजित की हो व हिंदी दिवस का आयोजन।
- ङ. सभी सूचनाएं "नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की संयुक्त वेबसाइट" पर निर्धारित समयानुसार अपलोड करना।
3. ये प्रमाण-पत्र नराकासों के अध्यक्षों/सदस्य सचिवों को दिए जाएंगे। उपरोक्त योजना वित्तीय वर्ष 2024-25 से लागू होगी।
4. यह आदेश सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से जारी किया जाता है।


(अनिल कुमार)
उप सचिव (का.)

प्रति-

1. सभी क्षेत्रीय कार्यालयों के प्रभारी अधिकारी।
2. सभी 536 नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के अध्यक्ष।